

आवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट साईज फोटो

सदस्य न्यायिक, राज्य आयोग हेतु आवेदन पत्र

- 1 पूरा नाम स्वच्छ व सुपाठ्य अक्षरों में (हिन्दी में)
- 2 पूरा नाम स्वच्छ व सुपाठ्य अक्षरों में (अंग्रेजी-केपिटल लेटर्स में)
- 3 जन्म तिथि (कृपया मैट्रिक/सैकेन्ड्री प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
- 4 निवास स्थान एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता।
- 5 टेलीफोन नम्बर, मोबाईल नं०, फैक्स नम्बर, ई-मेल आई.डी. यदि कोई हो।
- 6 सैकेन्ड्री एवं इससे उच्चतर उत्तीर्ण परीक्षाओं के विवरण मय वर्ष, श्रेणी, अंको का प्रतिशत और बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम (कृपया प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
- 7 (i) अपर जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति/प्रमोशन की तिथि :-
(ii) कम से कम 10 वर्ष के अनुभव के सम्बन्ध में निम्न प्रकार विवरण दें :-

क्र.सं.	धारित पद	कार्यालय का नाम व पता	अवधि कब से कब तक	संचालित किये गये कार्य की प्रकृति
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

- 8 क्या उम्मीदवार के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी है ?
- 9 क्या उम्मीदवार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 16(1)(बी) में वर्णित अयोग्यताओं में से किसी भी अयोग्यता के अंतर्गत आते हैं ? यदि हाँ तो विवरण दें।
- 10 क्या उम्मीदवार को कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये अभियोजन किया गया है, या गिरफ्तार किया गया है, या प्रतिबंध पर छोड़ा गया है, या दोषसिद्ध किया गया है? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें।
- 11 क्या उम्मीदवार को किसी लोकसेवा आयोग द्वारा परीक्षा में बैठने/चयन हेतु प्रतिबंधित किया गया है अथवा अयोग्य ठहराया गया है? यदि हाँ तो विवरण दें।

- 12 क्या उम्मीदवार को किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में बैठने/चयन हेतु प्रतिबंधित किया गया है अथवा अयोग्य ठहराया गया है? यदि हाँ तो विवरण दें। क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही लंबित है या प्रारम्भ की जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ तो विवरण दें।
- 13 यदि उम्मीदवार राज्य का सेवानिवृत्त कर्मचारी हो तो उसके द्वारा धारित पद, नियुक्ति एवं सेवानिवृत्त की तिथियां, विभाग का नाम, सेवा काल में हुई अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं उसके परिणाम का विवरण दें।
- 14 अन्य कोई सूचना जो उम्मीदवार देना चाहें।

जो इच्छुक व्यक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय सेवा में हैं, वे अपने प्रार्थना पत्र उचित माध्यम से प्रेषित करें। नियत समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले अथवा बिना प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर आदि न होने या किसी भी कमी के साथ अपूर्ण आवेदन पत्रों को बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।

स्थान

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
अभ्यर्थी का नाम
मो.नम्बर/सम्पर्क नम्बर

आवेदक का नवीनतम
पासपोर्ट साईज फोटो

सदस्य गैर न्यायिक, राज्य आयोग हेतु आवेदन पत्र

- 1 पूरा नाम स्वच्छ व सुपाठ्य अक्षरों में (हिन्दी में)
- 2 पूरा नाम स्वच्छ व सुपाठ्य अक्षरों में (अंग्रेजी-केपिटल लेटर्स में)
- 3 जन्म तिथि (कृपया मैट्रिक/सैकेन्ड्री प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
- 4 निवास स्थान एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता।
- 5 टेलीफोन नम्बर, मोबाईल नं०, फैक्स नम्बर, ई-मेल आई.डी. यदि कोई हो।
- 6 सैकेन्ड्री एवं इससे उच्चतर उत्तीर्ण परीक्षाओं के विवरण मय वर्ष, श्रेणी, अंको का प्रतिशत और बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम (कृपया प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।)
- 7 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 16(1)(बी)(iii) के अनुसार अनुभव का ब्यौरा प्रस्तुत करें। (वांछित प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 8 क्या उम्मीदवार के एक से अधिक जीवित पति/पत्नी है ?
- 9 क्या उम्मीदवार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 16(1)(बी) में वर्णित अयोग्यताओं में से किसी भी अयोग्यता के अंतर्गत आते हैं ? यदि हां तो विवरण दें।
- 10 क्या उम्मीदवार को कभी किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये अभियोजन किया गया है, या गिरफ्तार किया गया है, या प्रतिबंध पर छोड़ा गया है, या दोषसिद्ध किया गया है? यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें।
- 11 क्या उम्मीदवार को किसी लोकसेवा आयोग द्वारा परीक्षा में बैठने/चयन हेतु प्रतिबंधित किया गया है अथवा अयोग्य ठहराया गया है? यदि हाँ तो विवरण दें।
- 12 क्या उम्मीदवार को किसी बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में बैठने/चयन हेतु प्रतिबंधित किया गया है अथवा अयोग्य ठहराया गया है? यदि हाँ तो विवरण दें। क्या इस संबंध में कोई कार्यवाही लंबित है या प्रारम्भ की जाना प्रस्तावित है? यदि हाँ तो विवरण दें।
- 13 यदि उम्मीदवार राज्य का सेवानिवृत्त कर्मचारी हो तो उसके द्वारा धारित पद, नियुक्ति एवं सेवानिवृत्त की तिथियां, विभाग का नाम, सेवा काल में हुई अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं उसके परिणाम का विवरण दें।
- 14 अन्य कोई सूचना जो उम्मीदवार देना चाहें।

जो इच्छुक व्यक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय सेवा में हैं, वे अपने प्रार्थना पत्र उचित माध्यम से प्रेषित करें। नियत समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले अथवा बिना प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर आदि न होने या किसी भी कमी के साथ अपूर्ण आवेदन पत्रों को बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा।

स्थान
दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
अभ्यर्थी का नाम
मो.नम्बर/सम्पर्क नम्बर